FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज0)

श्रीमती कंकु देवी व अन्य	बनाम	सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ व अन्य

किस्म मुकदमा निगरानी/अपील/मुकदमा नं. 151/2021 अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
22.07.2021	वकील अपीलांट्स व राजकीय अभिभाषक उपस्थित अन्य रेस्पाडेंट अनुपस्थित। प्रकरण में अपीलांट की बहस सुनी गई व पत्रावली को आद्योपांत अवलोकन किया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को भी देखा गया तो यह प्रकट आया कि अपीलांट द्वारा यह अपील तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के नामांतरकरण संख्या 2802 दिनांक 27.05.2019 के विरूद्ध पेश की गई है तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन नामांतरकरण माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 20.02.2019 प्रकरण संख्या 3489/2014 रेफरेंस उभयपक्ष के अधिवक्ता को सुनने के बाद पारित किया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा उक्त रेफरेंस का निर्णय जिला कलक्टर द्वारा भिजवाये गये रेफरेंस प्रकरण पर उभयपक्षों को सुनने के बाद पारित किया एवं तहसीलदार ने अपीलाधीन नामांतरकरण माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय की पालना में ही दर्ज किया है। माननीय राजस्व मण्डल इस न्यायालय का अपीलीय न्यायालय है तथा राजस्व मण्डल के निर्णय की पालना में तहसीलदार द्वारा खोले गये व तस्दीक किये गये किसी न्यायालय की अपील सुनने का आशय व विधिक निहितार्थ राजस्व मण्डल के निर्णय की वैधानिकता/अपील क्षेत्राधिकार से संबंधित है अर्थात यह न्यायालय राजस्व मण्डल के अधीनस्थ न्यायालय होने से राजस्व मण्डल के निर्णय की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नही रखता वस्तुतः अपीलांट द्वारा पेशशुदा अपील राजस्व मण्डल के निर्णय के विरूद्ध अपील ही है जिसका क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को कदापि नही है। अतः अपील क्षेत्राधिकार विहिन होने से खारिज की जाती है। अपीलांट सक्षम/प्राधिकारी के यहां विधिक चाराजोही करने को स्वतंत्र है। अपील अपीलांट खारिज की जाती है, मिसल शुमार फैसल हो आदेश सुनाया गया।		

22/07/21

(L.N. Mantri)
Addl. Divisonal Commissioner
Udaipur (Raj.)